

विषय:

एफ-19-25/2016/स्था./19

डब्ल्यू.पी.क्र.-19655/2015 (एस) श्री अखिलेश गुप्ता
विरुद्ध श्री म0प्र0शासन एवं अरर।

का विभाग

मंजरी,
लो.नि.वि

पंजी क्र.-384/2016/स्था./19, दिनांक 19.01.2016

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

2/ श्री अखिलेश गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.पी.क्रमांक-19655/2015 दायर किया है जिसमें शासन का पक्ष समर्थन करने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना है।

अतः कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, (भ./स.) क्रमांक-1, बालाघाट को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा।

आदेशार्थ प्रस्तुत।

अनु0अधि0
श्री अखिलेश गुप्ता
23/01/16

23/01/16
23/01/16
25/01/16
25/01/16
25/01/16

23/01/16
23/01/16

श्री अखिलेश गुप्ता के हस्ताक्षर

23/01/16
23/01/16
23/01/16

23/01/16
23/01/16
23/01/16

अध्यक्ष जे.एल. शास्त्री
लोक निर्माण विभाग
क्रमांक-524-25/19
दिनांक-23/01/2016

7

छब्बीस-२ सचिवालय

एफ-19-25/2016/स्था./19

विषय:

डब्ल्यू.पी.क्र.-19655/2015 (एस) श्री अखिलेश गुप्ता
विरुद्ध श्री म0प्र0शासन एवं अन्य।

का विभाग

—२७—

पूर्व पृष्ठ से:-

हमारे कार्डों की नियुक्ति
इयारांत शासन का युद्ध समर्थन
केन्द्र प्रकरण विधि विभाग के
अंतर्गत रत्ना पाटील।

अनुमोदित

अनुमोदित

नमिब

Alex Jamin

04/03/16

05/03/16

pm
8/3/16

चन्द्र प्रकाश अग्रवाल
सचिव, म.प्र.शासन
लोक निर्माण विभाग

Rishi
4/3/2016

महेश्वर ०३.०३.१६
०४/०३/२०१६

7008

क्रा मोहन
04/03/16

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपात-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29/01/2016

क्रमांक-एफ-19-25/2016/स्था./19, राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (म./स.) संभाग क्रमांक-1, बालाघाट को मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमांक-19655/2015 द्वारा श्री अखिलेश गुप्ता विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य वरूप फाईल कराना प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे।
9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

- 21
10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
 11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
 12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
 13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(सुनील मंडावी)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 29/01/2016

पृ.क्र.-एफ-19-25/2016/स्था./19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. डिप्टी रजिस्ट्रार, मान0उच्च न्यायालय, जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, निर्माण भवन, म.प्र., भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्य-परिक्षेत्र-जबलपुर।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्रमांक-1, बालाघाट को प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।
6. कलेक्टर - बालाघाट (म0प्र0)।

(सुनील मंडावी)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

B

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 195035/2015

WP/19655/2015

FOR ADMISSION AND L.R.

Fixed for 18-01-2016

WP-DA-12

Respondent No. 1

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

To,

The State Of Madhya Pradesh,
The Principal Secretary Public Works Department
Vallabh Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 08-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/19655/ 2015**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Akhilesh Gupta** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/19655/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **18-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition



Q.
A. R. S.
24/12/15

Your faithfully

Dr

DEPUTY REGISTRAR

5/C

1

2

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT
AT JABALPUR

WRIT PETITION NO. 19655 OF 2015

PETITIONER: - AKHILESH GUPTA


VERSUS

RESPONDENTS:- State of M.P. and Ors.
INDEX

S.no.	Particulars of Documents	Annexure	Pg.No.
1.	Index		1
2.	Chronological Events of the Case		2
3.	Writ petition along with affidavit		3-8
4.	List of Documents		9
5.	Extract Copy of Service Book	P-1	10-11
6.	A copy of the Representation	P-2	12
7.	Copy of Notification dated 11.11.2002.	P-3	13
8.	A copy of the order dated 07-11-2005.	P-4	14-18
9.	Copy of Identical order passed by this Hon'ble Court.	P-5	19-22
10.	Vakalatnama.		23




JABALPUR
DATED: 5.11.2015


(SUDARSHAN CHAKRAVARTY)
ADVOCATE FOR PETITIONER
DECLARATION

That, it is declared that the petitioners have served the copy of petition together with Annexures in advance to the Advocate General's office as per Chapter X Rule 25 of M.P. High Court Rules, 2008 at 10.30am on08.2015.

JABALPUR
DATED: 5.11.2015


(SUDARSHAN CHAKRAVARTY)
ADVOCATE FOR PETITIONER